न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 70 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सुगनादेवी पत्नी हेमाराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो का बास, रायरा कलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. भैरूसिंह पुत्र हुकमसिंह 2. हजारीसिंह पुत्र हुकमसिंह जातिगण रावत 3. इन्द्रादेवी पत्नी पोकरराम जाति गुर्जर निवासीगण रायरा कलां तह0 सोजत जिला—पाली राज0। 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0—सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री रविन्द्रसिंह जैतावत अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 29/10/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रायरा कलां पटवार हल्का खोडिया, भू0अ0नि0क्षेत्र गुड़ा बींजा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान के ख0नं0 448/3 रकबा 0.1200 है0 किस्म बा0दो0 कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की आई हुई हैं। जिसके पड़ौस में अप्रार्थी सं0 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 448/2 रकबा 0.0700 है0 की स्थित हैं। उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड व नक्शे में अलग—अलग तरमीम किया हुआ था, जो सम्पूर्ण ख.नं. 448 में से स्व0 हुकमसिंह के वारिसान के मध्य बंटवाड़ा कर तीन हिस्से किये तथा हुकमसिंह के वारिसान अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा बेचान करने से प्रार्थीया तथा समूदेवी का अलग—अलग खसरा तरमीम किया जाकर खसरे के मीन नंबर तरमीम किये गये, जिसके माफिक बंट अनुसार मूल खसरा नंबर 448 उदयसिंह पुत्र हुकमसिंह का नाम इन्द्राज कर नक्शा तरमीम किया गया तथा खसरा नंबर 448/1 अप्रार्थी सं0 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी, राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई तथा ख.नं. 448/4 समुदेवी पत्नी चेनाराम गुर्जर की अलग से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई तथा ख.नं. 448/2 अप्रार्थी सं0 1 का राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया गया तथा ख.नं. 448/3 प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया गया। ऑनलाईन तरमीम करते वक्त राजस्व अधिकारियों द्वारा सेवन से सद्भाविक त्रुटिवश प्रार्थीया के ख.नं. 448/3 के स्थान पर ख.नं. 448/2 तरमीम कर दिया गया तथा ख.नं. 448/1 में अप्रार्थी सं0 2 के स्थान पर ख.नं. 448/3 प्रार्थीया के खसरे को तरमीम कर दिया गया तथा अप्रार्थी सं0 1 के ख.नं. 448/2 के स्थान पर अप्रार्थी सं0 2 के ख.नं. 448/1 का तरमीम कर दिया गया, जो की गलत तरमीम किया गया है। वर्तमान में मौके पर सभी खातेदार अपने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त तथा आबाद हैं। सर्वप्रथम प्रार्थीया द्वारा राजस्व कैम्प ग्राम पंचायत रायरा कलां में दिनांक 09.011.2021 को तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला—पाली

इंकार करते हुए सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कहने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद ग्राम रायरा कलां पटवार हल्का खोडिया के अशुद्ध तरमीम ख0नं0 448/2 के स्थान पर 448/3, ख0नं0 448/1 के स्थान पर 448/2 तथा ख0नं0 448/3 के स्थान पर 448/1 की तरमीम की जाकर ऑनलाईन तरमीम शुद्ध किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 3 द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक प्रार्थना पत्र ऑनलाईन रेकर्ड सुधार करते हुए तरमीम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।

तहसीलदार सोजत से मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2022/650 दिनांक 04.04.2023 वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश कर ग्राम रायरा कलांखुर्द के ख.नं. 448/1, 448/2, 448/3 व 448/4 की ऑनलाईन तरमीम करते वक्त सेवन से गलत इन्द्राज हो गयी हैं। जिसे संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित हैं।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद ग्राम रायरा कलां पटवार हल्का खोडिया के अशुद्ध तरमीम ख0नं0 448/2 के स्थान पर 448/3, ख0नं0 448/1 के स्थान पर 448/2 तथा ख0नं0 448/3 के स्थान पर 448/1 की तरमीम की जाकर ऑनलाईन तरमीम शुद्ध किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। तहसीलदार सोजत ने जवाब बहस में स्वीकारोक्ति/सहमति तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु व्यक्त कर अभिशंषा व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः ऑनलाईन तरमीम करते वक्त राजस्व अधिकारियों द्वारा सेवन से सद्भाविक त्रुटिवश गलत तरमीम किया गया है। वर्तमान में मौके पर सभी खातेदार अपने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काश्त तथा आबाद हैं। तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट अनुसार पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाना तथा पुनः कब्जा माफिक तरमीम शुद्धि व रेकर्ड दुरूस्ती दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझती है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद ग्राम रायरा कलां

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

पटवार हल्का खोडिया के अशुद्ध तरमीम ख0नं0 448/2 के स्थान पर 448/3, ख0नं0 448/1 के स्थान पर 448/2 तथा ख0नं0 448/3 के स्थान पर 448/1 की तरमीम की जाकर ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पुनः कब्जा माफिक तरमीम शुद्धि व रेकर्ड दुरूस्ती दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। प्रा0 पत्र मय नजरी नक्शा मय पटवारी रिपोर्ट को निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 09/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली